

कार्यवृत्त
बुधवार, 03 आश्विन, शक संवत्, 1940
(दिनांक : 19 सितम्बर, 2018)

खण्ड-51
अंक-2

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के अन्य मा० सदस्यों ने अतिक्रमण हटाने के अर्न्तगत लम्बे समय से रह रहे परिवारों को उजाड़ने संबंधी नियम-310 की सूचना को प्राथमिकता के आधार पर लिये जाने का अनुरोध किया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि पहले प्रश्नकाल होने दें परन्तु विपक्ष के सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे। इस पर शहरी विकास मंत्री ने कहा कि मा० न्यायालय के आदेशानुसार ही कार्यवाही हुई है। इस पर विपक्ष के सभी सदस्य जोर-जोर से अपनी बात कहते हुए सदन के 'वेल' में आ गये। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे इस सूचना को नियम-58 के अर्न्तगत ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 03 के त्रुटिपूर्ण उत्तर के सन्दर्भ में श्री अध्यक्ष ने कहा कि सदन में दिये जा रहे उत्तरों के प्रति संवेदनशीलता आवश्यक है। अतः यदि उत्तर में किसी संशोधन की व्यवस्था की जा रही हो तो उचित होगा कि मा० मंत्रियों द्वारा उत्तर देते समय ही उत्तर संशोधित हो। प्रश्नगत प्रकरण में चूंकि मा० सदस्य द्वारा जनमानस की जान माल का खतरा उत्पन्न होने जैसे अति गम्भीर विषय प्रश्न के माध्यम से उठाया गया है, लेकिन इतने गम्भीर प्रकरण का उत्तर मा० सदन में त्रुटिपूर्ण दिया जाना निश्चित रूप से सरकार तथा सम्बन्धित अधिकारियों की सदन के प्रति उदासीनता एवं असंवेदनशीलता परिलक्षित करता है। अतः मैं निर्देश देता हूं कि सरकार प्रश्नों के उत्तर गम्भीरता से दे। साथ ही इस त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण कर यथोचित कार्यवाही करे।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को एक्सेस पॉइंट (सिविल एकेडमी) नेहरू कालोनी, हरिद्वार रोड, देहरादून के 15 छात्र एवं छात्रायें सदन की कार्यवाही देखने हेतु दर्शक दीर्घा में बैठे हैं।

नवयुवकों/शिक्षार्थियों की विधान सभा की कार्यवाही देखने की परम्परा के अधीन यह प्रयास है कि इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था के सम्बन्ध में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

मा० सदस्य श्रीमती ममता राकेश ने आज की कार्यसूची में ड्रेनेज से संबंधित उनके पूर्व स्थगित तारांकित प्रश्न को पुनः स्थगित किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया। मा० अध्यक्ष ने इस पर अपना विनिश्चय सुरक्षित रखा।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-300 के अन्तर्गत 31 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से 07 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं। निम्नलिखित मा० सदस्यों द्वारा उनके नाम के सम्मुख लिखित सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु पढ़ी गयीं—

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" राज्य के सभी स्कूलों में "शारीरिक शिक्षा शिक्षकों" की नियुक्ति किये जाने की मांग के सम्बन्ध में।

श्री राजकुमार टुकराल रुद्रपुर जिला मुख्यालय की मलीन बस्तियों का नियमितिकरण करने व पिछले तीस वर्षों से स्थाई रूप से काबिज नागरिकों को उनके स्वामित्व वाली भूमि को फ्रीहोल्ड कर पट्टा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री खजानदास उत्तराखण्ड प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री पुष्कर सिंह धामी सीमान्त विधान सभा क्षेत्र खटिमा के ग्राम बग्घा-54 को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री दिवान सिंह बिष्ट (श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर मा० सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री बंशीधर भगत विधान सभा क्षेत्र कालाढुंगी अन्तर्गत करकर नाला तथा मिथिसा नाले पर पुल निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में ।

श्रीमती ममता राकेश जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत दिनांक 2 अप्रैल, 2018 को बन्द के दौरान दलित व्यक्तियों पर मुकदमे दर्ज किये जाने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में ।

सभापति लोक लेखा समिति ने उत्तराखण्ड विधान सभा की लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा ।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम तांशीपुर में तालाब के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री विक्रान्त पुत्र श्री सुभाष, ग्राम तांशीपुर, पो0 तांशीपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी ।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम तांशीपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री अमित कुमार पुत्र श्री राजपाल, ग्राम व पो0 तांशीपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी ।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम बसवाखेडी के ग्राम सढोली से कुरडी तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री भोपाल पुत्र श्री चमनलाल, ग्राम बसवाखेडी, पो0 मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी ।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम पाडली गेन्दा में सड़क से बन्दाखेडी तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री जावेद पुत्र श्री गुफरान, ग्राम पाडली, पो0 इकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी ।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम बसवाखेडी में जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री भोपाल पुत्र श्री चमनलाल ग्राम बसवाखेडी पो0 मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी ।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम सलेमपुर से रसुलपुल की रोड से लेकर प्रदीप के खेत की ओर पी0 सी0 रोड निर्माण के सम्बन्ध में" श्री समीम पुत्र श्री यासीम, ग्राम सलेमपुर, पो0 सलेमपुर राजपुताना जनपद, हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी ।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम खुण्डेवाली में शिव मन्दिर का निर्माण व सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रूपचन्द्र, ग्राम खुण्डेवाली, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी ।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम पाडली गेन्दा में रेलवे फाटक पर परमानेन्ट कर्मचारी रखने के सम्बन्ध में" श्री अलीम पुत्र श्री शरीफ, ग्राम पाडली गेन्दा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे ।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम सफरपुर में पशु चिकित्सालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्री मरगूब पुत्र श्री असलम, ग्राम सफरपुर, पो0 सलेमपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी ।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम मखदुमपुर को होते हुए रामनगर झबरेड़ा गुरुकुल मार्ग तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री मुनेश पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, ग्राम व पो0 मखदुमपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी ।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम मखदुमपुर सढोली से लिंक मार्ग तक बिजली घर बाली सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री प्रमजीत पुत्र श्री किशनपाल, ग्राम व पो0 मखदुमपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम कोटवाल आलमपुर में पानी की टंकी सुचारु रूप से जारी कराने के सम्बन्ध में" श्री अमरपाल पुत्र श्री दीलेराम, ग्राम कोटवाल, पो0 आलमपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम देवबन्द मगलौर मार्ग से सुसाडा तक सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में" श्री विजयपाल पुत्र श्री सुल्तान सिंह, ग्राम सुसाडा, पो0 सरस्वती नगर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम देवबन्द मगलौर मार्ग से बन्दर जुड़डा लिंक मार्ग तक पी0 सी0 सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में" श्री महावीर सिंह पुत्र श्री श्रीराम, ग्राम सुसाडी खुर्द, पो0 सरस्वती नगर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम सुसाडी खुर्द से ग्राम सुसाडी कला तक के मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री कुशलपाल पुत्र श्री महेन्द्र, ग्राम सुसाडी कला, पो0 सरस्वती नगर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम इकबालपुर मार्ग से साबतवाली तक पी0 सी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री महिपाल पुत्र श्री मगरू सिंह, ग्राम साबतवाली, पो0 झबरेड़ा जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम साबतवाली में झबरेड़ा बिजली घर साबतवाली कुण्डेवाली मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री सन्दीप पुत्र श्री कबज सिंह, ग्राम साबतवाली, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम मुण्डियाकी से उदलहेडी लिंक रोड तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री अरुण शर्मा पुत्र श्री जयभगवान शर्मा, ग्राम गुरुकुल नारसन, पो0 मुण्डियाकी, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम सावतवाली में बरात घर का सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री बालेन्द्र सिंह पुत्र श्री लाल सिंह, ग्राम सावतवाली, पो0 झबरेड़ा जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम ठसका में पानी की टंकी के सम्बन्ध में" श्री ओमबीर पुत्र श्री पालू सिंह, ग्राम ठसका, पो0 मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम अकबर फाजिलपुर में अम्बेडकर पार्क के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री शुभम पुत्र श्री सुनील, ग्राम अकबरपुर, पो0 इकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम देवपुर ग्राम में प्रा0वि0 की चाहरदीवारी व उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री नकलीराम पुत्र श्री ईलम चन्द, ग्राम देवपुर, पो0 इकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

कुमार, ग्राम दहियाकी, पो0 गुरुकुल नारसन, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम कुरडी में अम्बेडकर पार्क का सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री जलसिंह पुत्र श्री फूल सिंह ग्राम कुरडी, पो0 मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम नजरपुरा में मेन रोड से रजवाहे की पटरी पर सी0 सी0 रोड के सम्बन्ध में" श्री आदित्य कर्णवाल पुत्र श्री सतपाल, ग्राम नजरपुरा, पो0 मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम झबरेड़ी मैन के शिव मन्दिर से अकबर झोझा तक पी0 सी0 सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री सचिन कुमार पुत्र श्री रामपाल, ग्राम झबरेड़ा, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम झबरेड़ा रोड से जनता इण्टर कॉलेज सैदपुरा तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री कुलदीप पुत्र श्री विजयपाल, ग्राम सैदपुरा, पो0 मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम झबरेड़ा से झबरेडी अकबरपुर होते हुए रुड़की तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में" श्री नवाब सिंह पुत्र श्री सुभेराम, ग्राम झबरेड़ा, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम गदर जुड़डा में रविदास मंदिर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री अनिर पुत्र श्री अमरू, ग्राम गदर जुड़डा, पो0 मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम सोहलपुर गाडा में हाल निर्माण व रविदास मन्दिर का सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री राजकुमार पुत्र श्री शरमान्द, ग्राम सोहलपुर, गाडा पो0 नन्हेडा अन्नपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम डेलना में पानी की टंकी सुचारू रूप से चलाने के सम्बन्ध में" श्री रोहित कुमार पुत्र श्री काला सिंह, ग्राम डेलना पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम गदर जुड़डा में कश्यप समाज के बारात घर का सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह, ग्राम गदर जुड़डा, पो0 मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम गदर जुड़डा गांव में अम्बेडकर पार्क के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह, ग्राम गदर जुड़डा, पो0 मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम डेलना में प्राचीन काली मंदिर का सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री रोहित कुमार पुत्र श्री काल्य सिंह, ग्राम डेलना, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

12 बजकर 45 मिनट पर मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम डेलना में शनि देव मंदिर व हनुमान मंदिर का सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री जयसिंह प्रधान पुत्र श्री समय सिंह, ग्राम डेलना, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम इब्राहिमपुर देह ग्राम में देव स्थान की चाहरदीवारी व सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री सुरेन्द्र कश्यप पुत्र स्व0 श्री चोहल सिंह, ग्राम इब्राहिमपुर, पो0 सालियर साल्हापुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम सढौला माजरा में तलाब से खाले तक नाले का नव निर्माण के सम्बन्ध में" श्री रतिराम पुत्र श्री तुलसीराम सिंह, ग्राम सढौला, पो0 मुखदुमपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम सढौली से माजरा को होते हुए लहबोली मार्ग तक पी0 सी0 सड़क निर्माण के कार्य के सम्बन्ध में" श्री जयकरण पुत्र श्री राधेराम, ग्राम माजरा, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम सालियर में बरात घर का नव निर्माण के सम्बन्ध में" श्री कवर पाल पुत्र श्री चमन लाल, ग्राम सालियर, पो0 सालियर साल्हापुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम इब्राहिमपुर देह मे सोनाली नदी का तटबन्ध (रपटा) बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री सुरेन्द्र कश्यप पुत्र स्व0 श्री चोहल सिंह, ग्राम इब्राहिमपुर, पो0 सालियर साल्हापुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम झबरेड़ी मैन रोड से शमशान घाट तक सी0 सी0 मार्ग व छतरी निर्माण के सम्बन्ध में" श्री अशोक कुमार पुत्र श्री बाबूराम ग्राम झबरेड़ा, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम लखनौता में सामुदायिक केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री पहल सिंह पुत्र श्री बारू ग्राम, लखनौता, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम सुनहरा से माधोपुर होते हुए नन्हेडा अनन्तपुर तक पी0 सी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री संजय पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, ग्राम सुनहरा, पो0 नन्हेडा, अनन्तपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम हथियाथल में रविदास आश्रम का सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री जगदीश दास पुत्र श्री बुद्धि सिंह, ग्राम हथियाथल, पो0 तांशीपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम सालियर में सोनाली नदी का तटबन्ध (रपटा) निर्माण के सम्बन्ध में" श्री परवीन पुत्र श्री हुकम ग्राम सालियर, पो0 सालियर साल्हापुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम कुमराडा के राजवाहे के पुल से बसवाखेडो तक पी0 सी0 रोड के सम्बन्ध में" श्री अकतर पुत्र

श्री जहूर, ग्राम कुमराडा पो0 मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम लोदीवाला में बारात घर का सौन्दर्यकरण कराने के सम्बन्ध में" श्री चन्द्रपाल पुत्र श्री मामचन्द, ग्राम लोदीवाला पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम लोदीवाला चौराहे से झबरेड़ा मेन रोड तक पी0 सी0 सड़क के सम्बन्ध में" श्री सुरेश पंडित पुत्र श्री मान सिंह, ग्राम लोदीवाला पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम मंगलौर रोड से थीतकी कबायदपुर तक पी0 सी0 रोड निर्माण के सम्बन्ध में" श्री नवीन कर्णवाल पुत्र श्री नरेन्द्र, ग्राम थीतकी, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के उत्तरकाशी मुख्यालय (बाड़ाहाट) में रामलीला मंच, रामलीला मैदान उत्तरकाशी के पृष्ठ भाग में खाली पड़ी व निष्प्रयोज्य 07 मुठ्ठी भूमि को समिति के नाम फ्री होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में" श्री जयेन्द्र सिंह पंवार पुत्र स्व0 श्री जमन सिंह पंवार, ग्राम अठाली, पो0 रतूड़ी सेरा, जनपद उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित किया।

शहरी विकास मंत्री ने उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

शहरी विकास मंत्री ने उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्यमंत्री ने उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्यमंत्री ने उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित किया।

शहरी विकास मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

शहरी विकास मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित किया।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 18 सितम्बर, 2018 की बैठक में दिनांक 19 सितम्बर, 2018 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

सितम्बर, 2018

19 (बुधवार) विधायी कार्य,

- (1) उत्तराखण्ड (उ0प्र0 शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002, (संशोधन) विधेयक, 2018 का विचार एवं पारण (15 मिनट)
- (2) न्यायालय शुल्क (उत्तराखण्ड संशोधन), विधेयक, 2018 का विचार एवं पारण (15 मिनट)

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम 58 के अन्तर्गत चार सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से पहली, तीसरी और चौथी सूचना नियम-58 के मानको को पूरा नहीं करती हैं। अतः वे इनमें से दूसरी सूचना को नियम-58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लेंगे। इस पर मा0 नेता प्रतिपक्ष द्वारा पीठ से अनुरोध किया गया कि नियमतः एक दिन के उपवेशन में नियम-58 की पांच सूचनाएं ग्राह्यता पर सुनी जाती रही हैं, अतः आज नियम-58 की सभी सूचनाएँ स्वीकार कर ली जायें। इस पर श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि वे नियम-58 की सभी सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्रीमती ममता राकेश, हाजी फुरकान अहमद, काजी मौ0 निजामुद्दीन तथा श्री आदेश सिंह चौहान ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण से सन्तुष्ट न होने पर मा0 नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के सभी सदस्य 'वेल' में आ गये। संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात मा0 उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

सदन की कार्यवाही 01 बजकर 30 मिनट पर भोजनावकाश के लिये 03:00 बजे तक स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

वाहनों पर स्पीड गवर्नर लगाये जाने की बाध्यता से उत्पन्न हो रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में नियम-58 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्री प्रीतम सिंह पंवार, मा0 सदस्य ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनरल हणूत सिंह की समाधि को नगर निगम, देहरादून द्वारा सील कर दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-58 की सूचना पर माननीय सदस्य, श्री मनोज रावत तथा श्री करन माहरा ने विचार व्यक्त किये। शहरी विकास मंत्री के उत्तर के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार से डा0 आर0एस0 टोलिया का नाम हटाकर वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली कर दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-58 की सूचना पर मा0 सदस्य, श्री हरीश धामी ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण से सन्तुष्ट न होने पर मा0 सदस्य श्री धामी ने सदन का बहिर्गमन किया। तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

नियम-310 की नियम-58 में परिवर्तित अतिक्रमण हटाने के अन्तर्गत लम्बे समय से रह रहे परिवारों को उजाड़ने संबंधी सूचना पर मा0 नेता प्रतिपक्ष तथा मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल, श्री करण माहरा ने विचार व्यक्त किये। शहरी विकास मंत्री के उत्तर भाषण से असन्तुष्ट होने पर नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के सभी मा0 सदस्य जोर-जोर से अपनी बात कहते हुए 'वेल' में आ गये। श्री अध्यक्ष ने अनुरोध किया कि मा0 सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। शहरी विकास मंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

श्री अध्यक्ष ने निर्देश दिये कि विषय अत्यन्त गम्भीर है। इस विषय पर सरकार सम्यक विचारोपरान्त ऐसे समाधान की ओर कार्यवाही करे कि जिससे मा0 न्यायालय के निर्णय का सम्मान भी हो, लेकिन कोई भी गरीब जनसामान्य व्यक्ति इससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित भी न हो।

आबकारी मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उ0प्र0 शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002, (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय।

मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

आबकारी मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

आबकारी मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उ0प्र0 शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002, (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि न्यायालय शुल्क (उत्तराखण्ड संशोधन), विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय।

नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-9 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि न्यायालय शुल्क (उत्तराखण्ड संशोधन), विधेयक, 2018 पारित किया जाये। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

पशुपालन मंत्री ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :-

“यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाये।”

मा0 नेता प्रतिपक्ष एवं मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह, श्री देशराज कर्णवाल, श्री संजय गुप्ता एवं श्री विनोद चमोली ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 में कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से मा0 सदस्य श्रीमती मुन्नी देवी शाह की सूचना जो कि जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत आई भीषण प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों को मुआवजा दिये जाने तथा आपदा राहत कार्य में हो रहे विलम्ब से व्याप्त जनक्रोश के संबंध में है, को नियम-53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्री चन्दन राम दास की सूचना जो कि विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के ग्राम सभा सलगड़ा तथा हरिनगर, विकास खण्ड गरूड़ में विगत समय में गुलदार द्वारा बच्चों के शिकार बनने से ग्रामीणों में वन विभाग के अधिकारियों के प्रति आक्रोश के सम्बन्ध में है, को नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहे हैं। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्डी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थत्यूड (जौनपुर) में रेडियोलोजिस्ट, आर्थोपैडिक तथा अन्य चिकित्सकों की तैनाती न होने से जनता में व्याप्त असंतोष के संबंध में, श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री ने नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में इस वर्ष भारी वर्षा और प्राकृतिक आपदा से हुई जान-माल की क्षति व सड़क यातायात मार्ग ध्वस्त होने तथा भू-स्खलन से हुये नुकसान के संबंध में, श्री सुरेश राठौर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री ने नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

सदन की कार्यवाही 05 बजकर 05 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

(जगदीश चन्द्र)
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

(प्रेमचन्द अग्रवाल)
अध्यक्ष,
विधान सभा।